ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 50/16–17

मंझली मुर्मू बनाम् रैयान, मौजा–बड़ा केन्दुआ

·6·18

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रक्रिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ है।

आवेदिका गंझली मुर्मू, पति–स्व0 प्रधान हांसदा, सा0–बड़ा केन्दुआ, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत् मौजा–बड़ा केन्दुआ नं0–03 के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया है।

आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन की जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–304/रा0, दिनांक–01.09.2015 से प्राप्त है। जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा–बड़ा केन्दुआ नं0–03 प्रधानी मौजा है। मौजा– बड़ा केन्दुआ, थाना नं0–03 के अंतर्गत जमाबंदी नं0–01 के जमाबंदी रैयत स्व0 हरपाल हांसदा, थे। आवेदिका के पति स्व0 प्रधान हांसदा उक्त प्रधानी मौजा के अंतिम प्रधान थे, जिनकी मृत्यु दिनांक–14.04.2015 को हो गई है। आवेदिका मंझली मुर्मू गत प्रधान, स्व0 प्रधान हांसदा की पत्नी हैं।

मौजा के सोलह आना रैयतों को प्रधानी नियुक्ति आवेदन पर आपत्ति देने हेतु इस न्यायालय के डी0बी0 सं0–28/रा0, दिनांक–18.05.2018 द्वारा नोटिस तामिला हेतु भेजा गया। सोलह आना रैयतों से नोटिस तामिला कराया गया। किसी भी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा उक्त नियुक्ति पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुआ है। इससे स्पष्ट है कि आवेदिका मौजा के सोलह आना रैयतों को सामान्तया स्वीकार्य है तथा संथाल परगाना काश्तकारी नियम 1950 के तहत् वर्णित किसी भी प्रकार की अयोग्यता होने का प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–304/रा0, दिनांक–01.09.2015 के अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मंझली मुर्मू, पति–स्व0 प्रधान हांसदा, सा0–बड़ा केन्दुआ, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा को मौजा– बड़ा केन्दुअ, थाना नं0–03 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चलान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।